



Neutral Citation No. - 2026:AHC:18971-DB

आरक्षित तिथि: 09.01.2026

निर्णय तिथि: 28.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1757 वर्ष 1985

दुलिचंद और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : मानवेंद्र सिंह, आर.बी. सहाय, संजीव प्रताप सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : डी.जी.ए.

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा सुनाया गया)

- हमने अपीलकर्ता संख्या 2, भूरा के विद्वान अधिवक्ता श्री मानवेंद्र सिंह और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री प्रेम शंकर प्रसाद की दलीलें सुनीं और अवर न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।
- यह आपराधिक अपील सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर के दिनांक 06.07.1985 के सत्र परीक्षण संख्या 29/1985 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें मृतक-अपीलकर्ता संख्या 1 को धारा 323 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माना न भरने पर 3 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तथा अपीलकर्ता संख्या 2 को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और उस पर आजीवन कारावास तथा 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माना न भरने पर 3 महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा, तथा अपीलकर्ता संख्या 2 को धारा 307 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उस पर सात वर्ष का कठोर कारावास तथा 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा जुर्माना न भरने पर 3 महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा, और सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, घायल कमल सिंह (पीडब्ल्यू-2), सूचनाकर्ता बीर सिंह (पीडब्ल्यू-1), और सभी अभियुक्त फतेहपुर जिले के चांदपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इटारा गांव के निवासी हैं। मृतक शिव नारायण भी इसी गांव का निवासी था। कमल सिंह और राजू (पीडब्ल्यू-4), जो सगे भाई हैं, सूचनाकर्ता बीर सिंह के भतीजे बताए जाते हैं, जिनके पूर्वज कई पीढ़ियों पहले एक ही थे। इटारा गांव के उत्तर-पूर्व में स्थित एक खेत को लेकर सूचनादाता बीर सिंह और उनके भाई बाबू सिंह तथा तीनों अभियुक्तों के बीच हत्या की घटना से लगभग तीन महीने पहले से विवाद चल रहा था। अभियुक्तों ने लाठी, बल्लम और पिस्तौल से लैस होकर जबरन उस जमीन पर खेती करने का प्रयास किया था, जिसका बाबू सिंह ने विरोध किया था। इस संबंध में बाबू सिंह ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। वर्तमान घटना से एक दिन पहले, अभियुक्त भोरा और राजू के बीच भी गाली-गलौज हुई थी।

4. घटना वाले दिन, यानी 10.10.1984 को, शाम लगभग 6:30 बजे, राजू नदी किनारे से शौच और स्नान करके अपने घर लौट रहा था। जब वह बंता डोमर के घर के पास स्थित बिजली के खंभे के पास पहुँचा, तो वहाँ खड़े अभियुक्त भूरा और जगदीश ने उसे घेर लिया। जगदीश ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा जबकि भूरा ने बायाँ हाथ पकड़ा और कहा कि उसने कल उन्हें गाली दी थी, इसलिए उसे पीटा जाना चाहिए। इसके बाद, दोनों अभियुक्तों ने उसे चार-पाँच बार थप्पड़ मारे, जिस पर उसने शोर मचाया। यह सुनकर बीर सिंह, कमल और शिव नारायण मौके पर पहुँचे। कमल ने जगदीश को और शिव नारायण ने भूरा को पकड़ लिया, जिससे राजू उनके और हमले से बच गया। इसी दौरान, अभियुक्त दुली चंद अपने घर की दिशा से हाथ में लाठी लिए हुए आया। उसने शिव नारायण और उसके साथियों को उकसाया और स्वयं कमल पर लाठी से वार किए। अभियुक्त भूरा चार-पाँच कदम पीछे हटा, अपनी तहमत की कमर से पिस्तौल निकाली और शिव नारायण पर गोली चला दी। गोली उसके सीने और पेट में लगी। "भागो, गोलीबारी हो रही है" कहते हुए शिव नारायण पश्चिम की ओर भागा, लेकिन कलिदान के घर के दरवाजे के पास स्थित एक नीम के पेड़ के पास लगभग 70-75 कदम की दूरी पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, अभियुक्त भूरा ने अपनी पिस्तौल में गोलियां भरकर कमल पर एक और गोली चलाई, जिससे उसकी बाईं जांघ में चोट आई। कमल भी अपनी जान बचाने के लिए

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपने घर की ओर भागा। इन लोगों के अलावा, घटना के साक्षी बैजनाथ (पीडब्ल्यू-3) भी थे, जो शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। घटना के बाद, तीनों अभियुक्त अपने-अपने घरों की ओर चले गए। लगभग दस मिनट बाद, अभियुक्त दुली चंद के घर के पास स्थित उसकी छप्पर जलती हुई दिखाई दी। घटना के बाद, सूचनाकर्ता पुलिस स्टेशन जाने के लिए वाहन का इंतजाम करने निकल पड़ा। बरसात के मौसम के कारण बैलगाड़ी के कुछ हिस्से खुले पड़े थे, जिन्हें फिर से जोड़ा गया। दो घंटे से अधिक समय बीतने के बाद, सूचनादाता घायल कमल, जगपाल और गोरेलाल के साथ उसी बैलगाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। घटना स्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित चांदपुर पहुँचकर, सूचनादाता ने कस्बे के बाहरी इलाके में स्थित शुक्ला की दुकान से कागज लेकर घटना के संबंध में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) तैयार की। सूचनादाता 11.10.1984 को सुबह लगभग 5:00 बजे पुलिस स्टेशन पहुँचे और उक्त रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर तीनों अभियुक्तों के नाम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई और रोजनामचाआम में आवश्यक प्रविष्टि की गई।

5. घायल कमल सिंह को एक कांस्टेबल के साथ अमौली अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण उन्हें फतेहपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 11.10.1984 को दोपहर 2:00 बजे चिकित्सा अधिकारी डॉ. लाल वीरेंद्र प्रताप बहादुर सिंह द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की गई और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

(i) बाईं जांघ के पार्श्व भाग पर 1 सेमी x 1 सेमी का गोलाकार गोली के प्रवेश का घाव। किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए और नीले पड़े हुए थे। घाव के आसपास कालापन या टैटू नहीं था। घाव की गहराई मांसपेशियों तक थी। जांच नहीं की गई। घाव बाएं घुटने के जोड़ से 20 सेमी ऊपर था। बाएं घुटने के जोड़ से 23 सेमी ऊपर बाईं जांघ के मध्य भाग पर मटर के आकार की एक बड़ी गोली महसूस हुई।

(ii) बाएं अंगूठे पर 1 सेमी x 1/2 सेमी का खरोंच का निशान था, जिस पर पपड़ी नहीं बनी थी।

(iii) कान के बाहरी हिस्से से 10 सेमी ऊपर दाहिनी खोपड़ी पर 2 1/2 सेमी x 1 सेमी का नीलगू।

चिकित्सक की राय में सभी चोटें मामूली थीं और लगभग 18 घंटे पुरानी थीं।

6. मामले की विवेचना सब-इंस्पेक्टर श्री राम सिंह (पी.डब्ल्यू.-5) को सौंपी गई, जो उस समय चांदपुर पुलिस स्टेशन में द्वितीय अधिकारी थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन में सूचनादाता बीर सिंह का

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बयान दर्ज किया और एस.ओ. आर.डी. बाजपेयी के साथ अमौली पुलिस चौकी के लिए रवाना हुए। वहां से कांस्टेबलों को लेकर वे घटना स्थल पर गए और 11.10.1984 को सुबह लगभग 9:00 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। वहाँ, विवेचनाधिकारी ने कालिदीन के घर के पास एक नीम के पेड़ के नीचे पड़े शिव नारायण के शव का पंचनामा किया और पंचायतनामा, चालान लाश, फोटो लाश और आर.आई. तथा सी.एम.ओ. को पत्र तैयार किए। इसके बाद शव को सील करके कांस्टेबल नेत्र नारायण और सुलेमान के साथ पोस्टमार्टम के लिए सदर थाने भेज दिया गया। उन्होंने बैजनाथ सिंह का बयान दर्ज किया और सूचनादाता और गवाहों द्वारा बताए गए स्थान का नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-1) तैयार किया। उन्होंने अभियुक्त दुली चंद और जगदीश को उनके घरों से गिरफ्तार किया और फिर थाने लौट आए। अभियुक्त भूरा को पकड़ा नहीं जा सका, इसलिए विवेचनाधिकारी ने उसके खिलाफ धारा 82 और 83 सीआर.पी सी के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिव नारायण के शव का पोस्टमार्टम डॉ. आर.डी. दीक्षित द्वारा 13.10.1984 को किया गया था, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-15) में दर्ज है (जिसे बचाव पक्ष ने स्वीकार किया है)। मृत्यु का कारण परीक्षण से लगभग तीन दिन पहले लगी गोली के घाव थे।

7. अभियुक्त भूरा ने 27.10.1984 को आत्मसमर्पण कर दिया और विवेचनाधिकारी ने 05.11.1985 को अदालत में आरोपपत्र (प्रदर्श क-12) प्रस्तुत किया, जिसके बाद अभियुक्तों को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

8. मुकदमे में अभियुक्त भूरा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। अभियुक्त जगदीश और दुली चंद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 307/34 के तहत आरोप लगाए गए थे। तीनों अभियुक्तों ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया और मुकदमे की मांग की। उन्होंने घटना और उससे पहले की कथित घटनाओं के संबंध में अभियोजन पक्ष के सभी आरोपों से इनकार किया।

9. अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह के दौरान बचाव पक्ष का कहना है कि शिव नारायण की हत्या किसी अन्य स्थान पर और रात के समय हुई थी, जब इसे किसी ने नहीं देखा था। आगे यह आरोप लगाया गया कि कमल सिंह पर दिखाई गई चोटें उसे चश्मदीद गवाह के रूप में पेश करने के उद्देश्य से गढ़ी गई थीं और अभियुक्तों के खिलाफ मामला घटना की एक काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी के आधार पर दर्ज किया गया है। अभियुक्तों द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

10. अभियोजन पक्ष ने इस मामले में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अलावा कुल सात गवाहों को परीक्षित किया। जिन गवाहों को परीक्षित किया गया, उनमें से पी.डब्ल्यू.-1, सूचनाकर्ता बीर सिंह, पी.डब्ल्यू.-2, घायल कमल सिंह, पी.डब्ल्यू.-3 बैजनाथ और पी.डब्ल्यू.-4 राजू को चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया। पी.डब्ल्यू.-5, सब-इंस्पेक्टर राम सिंह, विवेचनाधिकारी हैं, जिन्होंने जांच के तथ्यों के संबंध में गवाही दी और चिक एफ.आई.आर. को साबित किया। (प्रदर्श क-2), जनरल डायरी प्रविष्टि (प्रदर्श क-3), कमल सिंह की चिट्ठी मजरूबी (प्रदर्श क-4), पंचायतनामा और संबंधित दस्तावेज (प्रदर्श क-5 से क-10), घटनास्थल का नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-11), और आरोप पत्र (प्रदर्श क-12)। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने में कुछ गलतियां हुई थीं, जो उनके अनुसार एफ.आई.आर. को केस डायरी में कॉपी करते समय और एस.ओ.आर.डी. बाजपेयी के कहने पर हुई थीं।

11. पीडब्ल्यू-6, डॉ. एल.वी.पी.बी. सिंह, चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, फतेहपुर ने बताया कि उन्होंने पीडब्ल्यू-2, कमल सिंह की चोटों की जांच 11.10.1984 को दोपहर लगभग 2:00 बजे की थी और ऊपर उल्लिखित चोटों की पुष्टि की थी। उन्होंने चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-13) की भी पुष्टि की और कहा कि चोट संख्या 1 किसी आग्नेयास्त्र से लगी हो सकती है, जबकि शेष चोटें किसी कुंद वस्तु से लगी हो सकती हैं। उनके अनुसार, चोटें 10.10.1984 को शाम लगभग 6:30 बजे लगी होंगी और उन्होंने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि चोट संख्या 1 लोहे की छड़ का उपयोग करके गढ़ी गई हो सकती है।

12. पीडब्ल्यू- 7, डॉ. एस.सी. श्रीवास्तव, रेडियोलॉजिस्ट, जिला अस्पताल, फतेहपुर ने कमल सिंह के बाएं हिस्से में लगी चोट का एक्स-रे किया (एक्स-रे प्लेट प्रदर्श-1 और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श क-14 दिनांक 12.10.1984) और उनकी जांच में एक गोली फंसी हुई पाई।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किये गए गवाहों में से, पीडब्ल्यू- 1, बीर सिंह, मामले के सूचनादाता ने बताया कि घटना से लगभग तीन महीने पहले अभियुक्त दुली चंद, जगदीश और भूरा के बीच गांव के उत्तर-पूर्व में स्थित एक भूखंड को लेकर विवाद और झगड़ा हुआ था, जो उनका और उनके भाई बाबू सिंह का था। अभियुक्तों ने पट्टा प्राप्त करने का दावा करते हुए जबरदस्ती उस भूखंड पर खेती करने का प्रयास किया, जिसका बाबू सिंह ने विरोध किया और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। गवाह के अनुसार, यही विवाद वर्तमान घटना की पृष्ठभूमि बना। घटना वाले दिन, शाम लगभग 6:30 बजे, जब सूरज डूबने वाला था, गवाह अपने घर के सामने

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बैठा था। उसने राजू (पीडब्ल्यू-4) को नदी की दिशा से अपने घर की ओर आते देखा। राजू का घर गवाह के घर के पश्चिम में स्थित है। जब राजू, गवाह के घर से लगभग 20 कदम उत्तर में स्थित बंता डोमर के घर के पास पहुँचा, तो उसने शोर मचाते हुए कहा कि उसे पीटा जा रहा है। जब गवाह उस तरफ दौड़ा, तो उसने अभियुक्त जगदीश और भूरा को राजू को पकड़ते हुए देखा और वे कह रहे थे कि राजू ने उन्हें कल गाली दी थी। इसी बीच, कमल सिंह (पीडब्ल्यू-2) और मृतक शिव नारायण भी वहाँ पहुँच गए। उनकी मौजूदगी में भूरा और जगदीश ने राजू को एक-एक थप्पड़ मारा। कमल सिंह ने जगदीश को पकड़ लिया और शिव नारायण ने भूरा को पकड़कर राजू को छुड़ा लिया। इसी बीच, भूरा और जगदीश के पिता, अभियुक्त दुली चंद, अपने घर की तरफ से लाठी लेकर आए और "मारो सालों को जो नहीं मानते" कहते हुए कमल सिंह पर लाठी से हमला कर दिया। इस पर भूरा चार-पांच कदम पीछे हट गया और अपनी तहमत की तह से पिस्तौल निकालकर शिव नारायण पर गोली चला दी। गोली शिव नारायण के पेट और सीने के बाईं ओर लगी, जिसके बाद वह पश्चिम की ओर भागा और घटना स्थल से लगभग 75 कदम की दूरी पर कलिदीन के घर के पास एक नीम के पेड़ के नीचे गिर गया। गवाह भी मौके से भागा और उस नीम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। इसके बाद भूरा ने अपनी पिस्तौल में दोबारा गोलियाँ भरीं और कमल सिंह पर गोली चला दी, जिससे उसकी बाईं जाँघ में चोट आई। फिर अभियुक्त घटनास्थल से चले गए। शिव नारायण की मौत उसी स्थान पर चोटों के कारण हुई जहाँ वे गिरे थे। गवाह को अपनी बैलगाड़ी को दोबारा जोड़ने में लगभग दो घंटे लगे, जिसके बाद वह कमल सिंह, जगपाल और गोरेलाल के साथ पुलिस स्टेशन गया। उसने चांदपुर स्थित शुक्ला की दुकान से कागज लेकर लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) तैयार की और सुबह तड़के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। उसने बताया कि कमल सिंह की चोटों से खून बह रहा था। उसने यह भी बताया कि उसने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयान में यह उल्लेख नहीं किया था कि अभियुक्त दुली चंद के पास पिस्तौल थी या उसने उससे गोली चलाई थी। हालांकि, उसने विवेचनाधिकारी के समक्ष यह बताया था कि दुली चंद ने कमल सिंह को लाठी से घायल किया था, लेकिन विवेचनाधिकारी ने अज्ञात कारणों से इसे दर्ज नहीं किया। उसने स्वीकार किया कि वह एफ.आई.आर. में इस तथ्य के साथ-साथ दुली चंद द्वारा उकसाए जाने के तथ्य का उल्लेख करना भूल गया था। जिरह के दौरान उसने बताया कि मृतक शिव नारायण और घायल कमल सिंह गोलीबारी स्थल से भागते समय रास्ते में खून की कुछ बूँदें गिरी थीं, हालांकि उसने गोलीबारी स्थल या शिव नारायण के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गिरने और मरने के स्थान पर खून नहीं देखा था। उसने बताया कि उसने रास्ते में गिरी खून की बूँदें विवेचनाधिकारी को दिखाई थीं।

14. पीडब्ल्यू-2 कमल सिंह ने बताया कि घटना वाले दिन शाम लगभग 6:30 बजे, वह अपने बैलों को चारा खिला रहा था, तभी उसने पूर्वी दिशा से राजू के शोर की आवाज सुनी। वह बीर सिंह और शिव नारायण के साथ घटनास्थल की ओर दौड़ा। उसने देखा कि भूरा और जगदीश राजू को पकड़े हुए थे और उसे एक-एक थप्पड़ मार रहे थे। वहाँ पहुँचकर, गवाह ने जगदीश को धक्का दिया, जबकि शिव नारायण ने भूरा को धक्का देकर राजू को पीटने से रोका। इसके बाद, राजू घटनास्थल से भाग गया। इसी बीच, अभियुक्त दुली चंद लाठी लेकर वहाँ पहुँचा और गवाह पर बगल से दो-तीन वार किए, जिससे गवाह को चोटें आईं। इसी समय, भूरा तीन-चार कदम पीछे हटा और अपनी धोती की तह से पिस्तौल निकालकर लगभग तीन-चार कदम की दूरी से शिव नारायण पर गोली चलाई। गोली शिव नारायण को लगी, जो "भागो, गोली चलने लगी" चिल्लाते हुए भागा। इसी दौरान अभियुक्त भूरा ने भी अपनी पिस्तौल से गवाह पर गोली चलाई, जिससे उसके बाएं पैर में चोट आई। गवाह ने बताया कि उसने भूरा को पिस्तौल में गोलियां भरते हुए नहीं देखा क्योंकि उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद थीं। शिव नारायण भागते समय गवाह के घर के पास स्थित एक नीम के पेड़ के नीचे गिर गया। गोली लगने से घायल होने के बाद वह भी अपने घर की ओर भागा और दरवाजे पर बैठ गया। पीड़ित के अलावा, इस घटना के साक्षी बैजनाथ और शिव नारायण भी थे। घटना के बाद, अभियुक्त अपने घर की ओर गए और लगभग दस मिनट बाद उन्होंने अपने ही घर में आग लगा दी। लगभग दो से ढाई घंटे बाद, बीर सिंह ने अपनी बैलगाड़ी का इंतजाम किया और लगभग आधी रात को वे सभी पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए, जहाँ चांदपुर में शुक्ला की दुकान के पास बीर सिंह द्वारा लिखी गई एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-1) दर्ज की गई। पुलिस स्टेशन से, पीडब्ल्यू- 2 को अमौली अस्पताल भेजा गया, और चूंकि वहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी चिकित्सकीय जाँच की गई और उन्हें तीन दिनों के लिए भर्ती किया गया। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस स्टेशन में विवेचनाधिकारी द्वारा उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने घटनास्थल पर या अपने घर के पास, जहाँ वे घटना के बाद बैठे थे, कहीं भी खून नहीं देखा। घटना के समय उन्होंने जो तेहमत पहनी थी, उस पर कुछ खून लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे अपने कब्जे में नहीं लिया। उन्होंने शिव नारायण के कपड़ों पर खून देखा, लेकिन उस जगह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पर नहीं जहाँ शिव नारायण को गोली मारी गई थी या जहाँ वे गिरे थे। उन्होंने आगे कहा कि घटना के समय उन्होंने घटनास्थल के पास के घरों में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन पर और शिव नारायण पर किसी अन्य स्थान पर, रात के अंधेरे में हमला किया गया और उन्हें घायल किया गया, या यह कि वे हमलावरों को पहचान नहीं पाए और विवादित भूखंड को लेकर दुश्मनी और दबाव बनाने के लिए अभियुक्तों को झूठा फंसाया गया है।

15. पीडब्ल्यू-3, बैजनाथ सिंह, जो इटारा गांव के निवासी हैं, ने बताया कि उनका घर बंता डोमर के घर के पास बिजली के खंभे से लगभग 70-75 कदम की दूरी पर स्थित है। घटना के समय, लगभग शाम 6:30 बजे, वह अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तभी शोर सुनकर वह बंता डोमर के घर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि अभियुक्त भूरा, दुली चंद और जगदीश एक तरफ खड़े होकर शिव नारायण, बीर सिंह और कमल सिंह को गाली दे रहे थे। उन्होंने राजू को मौके पर नहीं देखा। शिव बरन भी वहां पहुंच गया था। गवाह और शिव बरन ने बीच-बचाव किया और अभियुक्तों से झगड़ा न करने को कहा। इसी दौरान, लाठी लिए अभियुक्त दुली चंद ने शिव नारायण और अन्य लोगों को हमला करने के लिए उकसाया। अभियुक्त भूरा तीन-चार कदम पीछे हट गया और अपनी फेंट से पिस्तौल निकालकर शिव नारायण पर गोली चला दी। शिव नारायण को गोली लगी और वह दक्षिण दिशा की ओर भागा। इसके बाद, भूरा ने खाली कारतूस अपनी जेब में रखा, पिस्तौल में दोबारा गोलियां भरीं और भागने की कोशिश कर रहे कमल सिंह पर गोली चला दी, जिससे उसके बाएं पैर में चोट आई। कमल सिंह अपने घर जाकर उसके सामने बैठ गया, जबकि शिव नारायण नीम के पेड़ के पास गिरकर मर गया। उसने आगे बताया कि दुली चंद के उकसाने पर गवाह पीछे हट गया और लगभग 15-20 कदम की दूरी पर एक छोटे गड्ढे में छिप गया, जहाँ से उसने घटना देखी। उसने यह भी बताया कि दुली चंद के उकसाने पर भी शिव नारायण या उसके साथियों ने पीछे हटने या भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि घटनास्थल पर, मृतक के गिरने की जगह पर या घटना के बाद घायल के बैठने की जगह पर खून का कोई निशान नहीं था। उन्होंने विवेचनाधिकारी के समक्ष धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए अपने बयान में यह कहने से इनकार किया कि दुली चंद ने कोई गोली चलाई थी।

16. पीडब्ल्यू- 4, राजू सिंह, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, ने बताया कि घटना वाले दिन, लगभग सात-आठ महीने पहले, जब सूरज डूबने वाला था, वह नदी में स्नान करके और शौच

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करके घर लौट रहा था। जब वह बंता के घर के पास स्थित बिजली के खंभे के पास पहुँचा, तो अभियुक्त भूरा और जगदीश ने उसकी दाहिनी बांह पकड़ ली और भूरा ने उसकी बाईं बांह पकड़ ली। एक दिन पहले भूरा को गाली देने के बदले में, दोनों अभियुक्तों ने उसे चार-पाँच बार थप्पड़ मारे। उसने शोर मचाया, जिसके बाद बीर सिंह, कमल सिंह और शिव नारायण मौके पर पहुँचे। कमल सिंह ने जगदीश को और शिव नारायण ने भूरा को पकड़ लिया, जिससे गवाह छूट गया और फिर वह अपने घर की ओर भागा। घर के अंदर पहुँचने के लगभग दो-छह मिनट बाद, उसने गोलीबारी की दो आवाजें सुनीं, लेकिन वह बाहर नहीं आया। अपनी जिरह के दौरान उसने बताया कि जब सब-इंस्पेक्टर गांव पहुँचे तो वह वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि अगली सुबह वह मृतक शिव नारायण के दो भाइयों शिव बालक और चंदन सिंह को सूचना देने के लिए हमीरपुर जिले के लोधीपुर गांव गया था, जो वहां रहते थे। जैसा कि पहले बताया गया है, इस गवाह का बयान भी विवेचनाधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया था।

17. अभियुक्तों के अनुसार, गाँव के उत्तर-पूर्व में स्थित भूखंड अभियुक्त दुली चंद का है, जिसने उसका पट्टा प्राप्त कर रखा है और उस पर उसका कब्ज़ा है। यह बताया गया कि सूचनादाता बीर सिंह के भाई बाबू सिंह ने उक्त खेत में अपना कूड़ा डाला था, जिस पर दुली चंद ने आपत्ति जताई थी, और इस संबंध में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी इनकार किया कि राजू और अभियुक्त भूरा के बीच कोई कहासुनी हुई थी, या घटना के दिन भूरा और जगदीश ने राजू को पकड़कर उस पर हमला किया था। उन्होंने इस आरोप का भी खंडन किया कि दुली चंद ने कमल सिंह को लाठी से घायल किया था, या भूरा ने शिव नारायण पर जानलेवा गोली चलाई थी, या पिस्तौल से गोली चलाकर कमल सिंह को घायल किया था। अभियुक्तों के अनुसार, विवादित भूखंड का कब्ज़ा छोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

18. अपीलकर्ता संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलें इस प्रकार हैं:-

(i) कथित घटना 10.10.1984 को सुबह 6:30 बजे घटी और एफ.आई.आर. 11.10.1984 को सुबह 5:00 बजे दर्ज की गई, जबकि घटना स्थल से पुलिस स्टेशन की दूरी 14 किलोमीटर है और देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बीर सिंह द्वारा दर्ज नहीं कराई गई थी, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनादाता ने उल्लेख किया है कि हम कमल सिंह, शिवनारायण और बीर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे थे।

(iii) घायल कमल सिंह की चिकित्सकीय जांच 11.10.1984 को दोपहर 2.00 बजे की गई थी और चिकित्सकीय जांच में हुई देरी, जिसमें काट-छांट भी शामिल है, का उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

(iv) पंचायतनामा के अंतिम पृष्ठ पर, दस्तावेज के क्रमांक पर काट-छांट और ओवरराइटिंग है, जो यह भी दर्शाता है कि यह पूर्व-निर्धारित है।

(v) पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि उन्हें 13.10.1984 को दोपहर 1.00 बजे कागजात प्राप्त हुए थे, जबकि शव 12.10.1984 को दोपहर 12.10 बजे प्राप्त हुआ था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शव के साथ कोई दस्तावेज नहीं भेजे गए थे और शव भेजने के एक दिन बाद दस्तावेजों में हेरफेर किया गया था।

(vi) प्रथम सूचना रिपोर्ट और धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयानों में यह आरोप नहीं है कि घायल पर लाठी से हमला किया गया था, लेकिन पहली बार अदालत के समक्ष, पीडब्ल्यू-1 बीर सिंह ने बताया कि दुलिचंद ने कमल सिंह पर लाठी से हमला किया था और यह बात कमल सिंह को लगी मामूली चोटों और खरोंचों को छिपाने के लिए गढ़ी गई थी।

(vii) कथित घटना बंता डोमर के घर के पास घटी थी, लेकिन बंता डोमर के परिवार के किसी भी सदस्य को परीक्षित नहीं किया गया।

(viii) शिवनारायण और कमल सिंह को गोली लगने के स्थान से कोई रक्त नहीं मिला और न ही शिवनारायण के शव के स्थान से कोई रक्त मिला।

(ix) कारतूस बरामद नहीं हुए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला झूठा साबित होता है।

(x) घटना के बाद मृतक शिवनारायण के परिवार के सदस्य घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन शिवनारायण के परिवार के सदस्यों द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई और न ही शिवनारायण के परिवार के किसी सदस्य को अदालत के समक्ष पेश किया गया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(xi) पीडब्ल्यू-1, बीर सिंह ने कहा है कि उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए बयान में विवेचनाधिकारी को यह नहीं बताया था कि कमल सिंह पर भी लाठीचार्ज किया गया था।

(xii) विवेचना के दौरान गवाहों ने बताया कि दुलिचंद ने गोली चलाई थी, जबकि अदालत के समक्ष दिए गए बयान में कहानी बदल दी गई और गोली चलाने का आरोप अपीलकर्ता भूरा पर लगाया गया।

(xiii) अपीलकर्ताओं की मृतक शिवनारायण और घायल कमल सिंह से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही उनके पास शिवनारायण और घायल कमल सिंह की हत्या करने का कोई हेतुक था।

(xiv) पीडब्ल्यू-1, बीर सिंह ने बताया है कि घटना से पहले अभियुक्तों और उनके भाई बाबू सिंह के बीच झगड़ा हुआ था, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ताओं की सूचनादाता बीर सिंह से कोई दुश्मनी नहीं थी। सूचनाकर्ता उस जमीन की पहचान भी नहीं बता पाया है जिसके संबंध में बाबू सिंह और अपीलकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था। उसने यह भी बताया है कि वह बैलगाड़ी से पुलिस स्टेशन गया था और रास्ते में उसने शुक्ला की दुकान से कागज लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी थी, लेकिन उसने आगे कहा कि वह शुक्ला का नाम नहीं जानता, जिससे यह भी पता चलता है कि अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करने के लिए झूठा बयान दिया गया था।

(xv) यहां तक कि पीडब्ल्यू- 1, बीर सिंह के बयान से भी, यदि यह मान लिया जाए कि अपीलकर्ताओं की उससे दुश्मनी थी, तो यह अत्यंत अस्वाभाविक और असंभव है कि अपीलकर्ता सूचनादाता को छोड़ दें और उन अन्य व्यक्तियों पर गोली चलाएं जिनसे उनका कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी।

(xvi) पीडब्ल्यू- 2, कमल सिंह ने कहा है कि उसने यह नहीं देखा कि भूरा ने देसी पिस्तौल में गोलियां भरी थीं या नहीं। उसने यह भी कहा है कि विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी ने उसका बयान दर्ज नहीं किया था। विवेचनाधिकारी को खून से सने कपड़े नहीं सौंपे गए थे। उसने आगे कहा है कि वह पहली बार यह तथ्य अदालत के सामने बता रहा है और इससे पहले उसने ये तथ्य किसी को नहीं बताए थे। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के बाद शिवनारायण की पत्नी और भाई मौके पर आए थे, लेकिन बीर सिंह और शिवनारायण के परिवार के सदस्यों के बीच

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय उन्होंने घटनास्थल पर आसपास के किसी भी निवासी को नहीं देखा था।

(xvii) पीडब्ल्यू- 3, बैजनाथ ने कहा है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने राजू को वहां नहीं देखा। उसने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने देसी पिस्तौल को दोबारा लोड किया था और खाली कारतूस अपनी जेब में रखे थे, जबकि पीडब्ल्यू- 1, बीर सिंह और पीडब्ल्यू- 2, कमल सिंह ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है। उसने यह भी नहीं कहा है कि दुलिचंद ने पीडब्ल्यू- 2, कमल सिंह पर लाठी से हमला किया था और आगे कहा है कि विवेचना के दौरान उसने कहा था कि अपीलकर्ता भूरा ने गोली चलाई थी, लेकिन उसे नहीं पता कि विवेचनाधिकारी ने कैसे उल्लेख किया है कि दुलिचंद ने देसी पिस्तौल से गोली चलाई थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने गंगा चरण द्वारा दुलिचंद के खिलाफ दायर एक मामले में गवाही दी थी और इस मामले में बीर सिंह (पीडब्ल्यू- 1) के भाई बाबू सिंह भी गवाह थे।

(xviii) पीडब्ल्यू- 4 राजू सिंह ने बताया है कि वह अनपढ़ है और घटना वाले दिन भूरा और जगदीश ने उसे पकड़कर पीटा था। जब उसने शोर मचाया तो उसके चाचा बीर सिंह, कमल सिंह और शिवनारायण आ गए। इसके बाद वह अपने घर चला गया और दो गोलीयों की आवाजें सुनीं, लेकिन वह बाहर नहीं आया, जिससे पता चलता है कि उसने कोई घटना नहीं देखी।

(xix) विवेचना के दौरान, पीडब्ल्यू-1, बीर सिंह का धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान भी दर्ज नहीं किया गया था। उसने बताया है कि घटना के बाद वह किसी दूसरे गांव चला गया था और उसके लौटने के बाद विवेचनाधिकारी जा चुका था।

(xx) पीडब्ल्यू- 5, एस आई, राम सिंह (विवेचनाधिकारी) ने भी बताया है कि विवेचना के दौरान पीडब्ल्यू- 2, कमल सिंह और पीडब्ल्यू- 4, राजू सिंह का बयान दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि वे लापता थे और पीडब्ल्यू- 5 ने यह भी कहा है कि विवेचना के दौरान गवाहों ने बताया है कि दुलिचंद ने गोली चलाई थी, लेकिन गवाहों ने यह नहीं बताया कि दुलिचंद ने पीडब्ल्यू- 2, कमल सिंह पर लाठी से हमला किया था। उन्होंने आगे कहा है कि 11.10.1984 को सुबह 10.30 से 11.00 बजे के बीच शव का पंचायतनामा भेजा गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि शव 12.10.1984 को दोपहर 12.10 बजे प्राप्त हुआ था और कागजात 13.10.1984 को दोपहर 1.00 बजे प्राप्त हुए थे।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19. विद्वान ए.जी.ए. ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री की ओर इशारा किया है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे:

20. प्रतिद्वंद्वी दलीलों, अवर न्यायालय की सामग्री और अवर न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और उसके फैसले और आदेश पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि घटना सुबह 6:30 बजे हुई और एफ.आई.आर. अगले दिन सुबह 5:00 बजे दर्ज की गई, और इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तथा घायल कमल सिंह की चिकित्सा जांच में भी देरी हुई, सही नहीं है। हम पाते हैं कि पी.डब्ल्यू.-1 ने अदालत के समक्ष दर्ज अपने बयान में इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। उसने बताया है कि घटना के बाद, उसने अपनी बैलगाड़ी को, जो दो घंटे के भीतर बिखरी पड़ी थी, फिर से जोड़ा और उसके बाद, वह कमल सिंह, जगपाल और गोरे लाल के साथ पुलिस स्टेशन गया। वे तड़के सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसके बाद चांदपुर स्थित शुक्ला की दुकान से कागज लेकर एक आवेदन लिखा और घटना के अगले दिन सुबह 5:00 बजे एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। इसके बाद वे घायल पीडब्ल्यू-2 को अमौली अस्पताल ले गए, जहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां दोपहर 2:00 बजे उनकी चिकित्सकीय जांच की गई। एफ.आई.आर. दर्ज कराने के बाद वे बैलगाड़ी से अमौली अस्पताल से सदर अस्पताल वापस गए, जहां केवल डॉक्टर उपलब्ध थे। घायल कमल सिंह की चिकित्सकीय जांच 11.10.1984 को दोपहर 2:00 बजे की गई। एफ.आई.आर. दर्ज कराने में देरी और घायल पीडब्ल्यू-2 की चिकित्सकीय जांच में देरी के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से स्पष्टीकरण की कमी नहीं दिखती है। बैलगाड़ी की गति ऐसी नहीं होती कि 14 किलोमीटर की दूरी 2-4 घंटे में तय की जा सके। बैलगाड़ी से यात्रा पूरी रात चली और कागज़ इकट्ठा करने के बाद एफ.आई.आर. लिखने में भी कुछ समय लगा होगा। गाँव के पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. तभी दर्ज की जाती है जब एस.एच.ओ. अपने अधीनस्थों को इसकी अनुमति देता है।

21. पंचायतनामा में उल्लिखित दस्तावेजों के क्रम संख्या में काट-छाँट और उस पर दोबारा लिखने के संबंध में आगे की दलील को एफ.आई.आर. के पूर्व-समय पर दर्ज होने का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दस्तावेजों का उल्लेख पंचायतनामा में है, लेकिन केवल उनके क्रम संख्या में काट-छाँट के कारण इस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



22. मृतक का शव 12.10.1984 को दोपहर 12:10 बजे प्राप्त हुआ था, जबकि पोस्टमार्टम डॉक्टर को कागजात 13.10.1984 को दोपहर 1:00 बजे मिले थे, इस तर्क के संबंध में, यह संबंधित विवेचनाधिकारी/एस.एच.ओ. की चूक मानी जा सकती है, क्योंकि पंचायतनामा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सभी दस्तावेजीकरण 11.10.1984 को विवेचना के समय किया गया था और दस्तावेजों का उल्लेख पंचायतनामा में क्रमांक 1 से 8 तक स्पष्ट रूप से किया गया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जब मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, तब दस्तावेज मौजूद नहीं थे और बाद में बनाए गए थे। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यता को स्वीकार किया है। यह सच है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कागजात भेजने में देरी से अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है। लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रामाणिकता स्वीकार किए जाने के कारण यह केवल प्रक्रियात्मक चूक का मामला प्रतीत होता है। इसका लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता। शिव नारायण की मृत्यु 10.10.1984 को गोली लगने से हुई थी, यह तथ्य अभियोजन पक्ष के मौखिक और चिकित्सा साक्ष्यों से सिद्ध होने के साथ-साथ बचाव पक्ष द्वारा भी स्वीकार किया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बचाव पक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्शक- 15) की प्रामाणिकता स्वीकार की है, जिससे पता चलता है कि मृतक की मृत्यु 10.10.1984 की दोपहर को गोली से लगी निम्नलिखित चोटों के कारण हुई थी:

"(i) दाहिने निष्पल से 0.10 सेमी नीचे स्थित 0.5 सेमी x 0.5 सेमी x गुहा की गहराई वाला गोली के प्रवेश का घाव, अंदर की ओर मुड़े हुए किनारे। कोई बी एंड टी नहीं।

(ii) पेट के दाहिनी ओर 8 बजे की स्थिति पर 0.5 सेमी x 0.5 सेमी x गुहा की गहराई वाला गोली के प्रवेश का घाव। कोई बी एंड टी नहीं। अंदर की ओर मुड़े हुए किनारे।

प्रत्यक्षदर्शियों की जिरह से पता चलता है कि घटना के सटीक समय और स्थान पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि उपरोक्त तथ्य पर सवाल नहीं उठाए गए हैं।

23. यह तर्क कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयानों में यह आरोप नहीं था कि घायल को लाठी से पीटा गया था, लेकिन अदालत के समक्ष पीडब्ल्यू- 1, बीर सिंह ने कमल सिंह पर लाठी से हमला करने का आरोप धुलिचन्द पर लगाया, जो कमल सिंह को लगी नीलगू चोटों और खरोंचों को समझाने के लिए गढ़ा गया एक मनगढ़ंत बयान था, निराधार है। पीडब्ल्यू- 1 ने अपनी जिरह में कहा कि उसने यह तथ्य विवेचनाधिकारी को बता दिया था, अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लेकिन अगर उसने अपने बयान में इसका जिक्र नहीं किया, तो वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता।

24. यह तर्क कि घटना बंता डोमर के घर के पास हुई थी, लेकिन उसके परिवार के किसी भी सदस्य को परीक्षित नहीं किया गया, निराधार है। यह सर्वविदित है कि कोई भी तीसरा व्यक्ति दो पक्षों के बीच विवाद में शामिल नहीं होना चाहता और बंता डोमर के परिवार के किसी भी सदस्य को परीक्षित न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हो सकता।

25. घटनास्थल से न तो खून मिला और न ही कारतूस बरामद हुए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला झूठा साबित हो, यह तर्क भी ज्यादा मायने नहीं रखता। घटना स्थल पर खून न मिलना आपराधिक मामलों में अक्सर उठाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तर्क है, लेकिन अदालतों ने फैसला सुनाया है कि अगर चश्मदीदों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट जैसे अन्य ठोस सबूत घटना की पुष्टि करते हैं, तो यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है।

26. खून कपड़ों या जमीन में रिस सकता है। अगर घटना स्थल पर कई लोग आते-जाते हैं, तो सबूत मिट सकते हैं, खासकर मिट्टी की ऊपरी सतह पर। कभी-कभी विवेचनाधिकारी की लापरवाही के कारण विवेचना के दौरान ऐसी गलती हो जाती है और केवल इसी आधार पर अभियुक्त को बरी नहीं किया जा सकता।

27. यह भी एक ऐसा मामला है जहाँ अपराध में प्रयुक्त कारतूस/हथियार घटनास्थल से या बाद में अभियुक्त के बताए जाने पर भी बरामद नहीं हुआ। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, इसे अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करने वाला माना जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में, इसका प्रभाव कम हो जाता है। रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सभी साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए, इसे अभियुक्त को स्वतः बरी करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

28. यह तर्क कि शिव नारायण के परिवार के सदस्य, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई, तथ्यात्मक रूप से गलत है। पीडब्ल्यू-1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के बाद शिव नारायण की माँ और भाई घटनास्थल पर आए और वे घटना के समय वहाँ मौजूद नहीं थे।

29. यह तर्क कि अपीलकर्ताओं की मृतक शिव नारायण और घायल कमल सिंह से कोई दुश्मनी नहीं थी और उनके पास उन पर हमला करने का कोई हेतुक नहीं था, निराधार है, क्योंकि पीडब्ल्यू-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना से तीन महीने पहले अभियुक्तों ने जबरदस्ती उसके और उसके भाई बाबू सिंह के खेत को जोतने की कोशिश की थी और उसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, क्योंकि अभियुक्त लाठी, बल्लम और देसी पिस्तौल से लैस थे। इसी कारण पीडब्ल्यू-1 के भतीजे राजू (पीडब्ल्यू-4) को अभियुक्तों ने पकड़ लिया और पीटा। राजू की चीख सुनकर पीडब्ल्यू-1, कमल सिंह और शिव नारायण उसे बचाने गए, जहां भूरा ने शिव नारायण को गोली मारकर घायल कर दिया और कमल (पीडब्ल्यू-2) की जान लेने का प्रयास किया। पीडब्ल्यू-1 ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि विवादित जमीन उसके भाई बाबू सिंह की नहीं थी।

30. विवादित भूमि और शुक्ला की दुकान की पहचान गुप्त रखने का तर्क अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से गलत साबित नहीं करता। पीडब्ल्यू-2 का यह बयान कि उसने भूरा को देसी पिस्तौल में गोलियां भरते देखा था, अभियोजन पक्ष के खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि भूरा द्वारा मृतक पर घातक गोली चलाने के बाद, पीडब्ल्यू-2, कमल, शायद डर गया था और भूरा द्वारा पिस्तौल में गोलियां भरते हुए नहीं देख पाया था, लेकिन उसकी जांघ में गोली लगी थी। पीडब्ल्यू-3 का यह बयान कि उसने राजू को घटनास्थल पर नहीं देखा था, महत्वहीन है, क्योंकि पीडब्ल्यू-4, राजू ने बताया कि जैसे ही कमल और शिव नारायण ने उसे अभियुक्तों के चंगुल से छुड़ाया, वह भाग गया और अपने घर में घुस गया। घर में घुसने के बाद उसने गोलीबारी की आवाज सुनी, लेकिन वह घर से बाहर नहीं आया।

31. विवेचनाधिकारी द्वारा धारा 161 सीआरपीसी के तहत पीडब्ल्यू- 2 कमल सिंह और पीडब्ल्यू- 4 राजू के बयान दर्ज न करने के संबंध में दिए गए तर्क निराधार हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू- 5 के बयान से यह स्पष्ट है कि विवेचनाधिकारी ने पीडब्ल्यू- 1 बीर सिंह और पीडब्ल्यू- 3 बैजनाथ सिंह के बयान दर्ज किए थे। उन्होंने जिरह के दौरान कहा कि वे पीडब्ल्यू- 2 का बयान दर्ज नहीं कर सके क्योंकि वह अपनी चोट के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे और 18.10.1984 को जब वे फतेहपुर के सदर अस्पताल गए, तब तक पीडब्ल्यू- 2 को छुट्टी दे दी गई थी। वे तीन-चार बार उसके गांव गए लेकिन वे गांव में नहीं मिले। पीडब्ल्यू- 4 राजू के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्हें वह महत्वपूर्ण गवाह नहीं लगा। पीडब्ल्यू- 1 और पीडब्ल्यू- 3 से जिरह के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा उनके बयान दर्ज न किए जाने के तथ्य के बारे में उनसे जिरह नहीं की गई। हालांकि, पीडब्ल्यू- 1 ने विवेचनाधिकारी के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि शिव नारायण को

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गोली लगने से गंभीर चोट आई और वह रोते हुए भाग गया, लेकिन 70-75 कदम चलने के बाद गिर पड़ा।

32. पीडब्ल्यू-3 ने अपनी जिरह में यह भी कहा कि उसने विवेचनाधिकारी को सूचित किया था कि भूरा ने कमल सिंह और शिव नारायण पर गोली चलाई थी और उसने कभी यह नहीं कहा कि गोली धुली चंद ने चलाई थी। इसलिए पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-3 के बयान विवेचनाधिकारी द्वारा धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए थे, और इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा उनकी जिरह भी की गई थी।

33. रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। हमें अवर न्यायालय द्वारा अपने फैसले और आदेश में दर्ज निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। इसे एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

34. आपराधिक अपील एतद्वारा **खारिज** की जाती है।

35. अपीलकर्ता संख्या 2 जमानत पर है, उसकी जमानत रद्द की जाती है और जमानतदारों को मुक्त किया जाता है। उसे तत्काल आत्मसमर्पण करने और शेष सजा काटने का निर्देश दिया जाता है।

36. अवर न्यायालय अवर न्यायालय के फैसले की प्रति के साथ इसे वापस दर्ज करे।

28 जनवरी, 2026

रोहित

(जय कृष्ण उपाध्याय, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"